न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 26 / 2014 / (2014 / 00067) जिला–अजमेर

1. किशनलाल पुत्र नौरतमल
2. मंजू उर्फ जगूड़ी पुत्री नौरतमल
3. जंवरीलाल पुत्र चौथमल
4. पूनमचन्द पुत्र चौथमल
5. श्री गोरधन पुत्र चौथमल
6. कैलाश पुत्र चौथमल
7. शिवराज पुत्र सम्पतलाल पौत्र चौथमल
8. जीतमल पुत्र सम्पतलाल पौत्र चौथमल
9. श्रीमति जनता पुत्री चौथमल
10. सुशीला पुत्री चौथमल
11. संजू पुत्री चौथमल
12. केसर पुत्री चौथमल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम बांसेली, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुष्कर (पुराना) जरिये प्रन्यासी अनन्त प्रसाद लक्ष्मी निवास गनेरीवाल निवासी पुराना रंगजी का मंदिर पुष्कर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर

.....रेस्पोन्डेन्टस्

3. संतोष पत्नी प्रहलाद
4. भंवरलाल पुत्र सुगना
5. रतनलाल पुत्र सुगना
6. रमेश चन्द पुत्र सुगना
7. हरकू पुत्री सुगना
8. सीला पुत्री सुगना
9. लीला पुत्री सुगना
10. गीतू पुत्री सुगना
11. सीता पुत्री सुगना
12. घीसी पुत्री नौरतमल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम बांसेली, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

.....तरतीबी रेस्पोन्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 29–04–2014
प्रकरण संख्या 30/2011 बउनवान मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल
बनाम तहसीलदार, अजमेर

उपस्थित : 1. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री एस.के.सेठी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 11–07–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांसेली में स्थित कृषि भूमि जो सम्वत 2015–2018 की जमाबंदी में बींजा वल्द छोटू माली के नाम मौरूसी काश्तकार के रूप में दर्ज थी इसी दौरान वर्किंग जमाबंदी प्रभाव में आ जाने से पूर्व चौसाला जमाबंदी के खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर बनाये गये तथा आराजी खसरा नम्बर 539 व 535 बाबत खातेदारी अधिकार बींजा के ही बने रहे। इसी अनुसरण में आधारभूत जमाबंदी में बींजा के पुत्रों सुगना, नौरत एवं चौथू पुत्रगण बींजा का अंकन खसरा नम्बर 649, 650/1055, 654 का कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज रहा तथा अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये मंदिर रंगनाथ वेणुगोपाल का नाम अंकित कर अनन्त प्रसाद गनेरीवाल ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें स्वयं मंदिर को प्रार्थी के रूप में अंकित किया तथा अप्रार्थी के स्थान पर एक मात्र राजस्थान सरकार का अंकन किया गया तथा जमाबंदी में अंकित खातेदारों एवं उनके वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया। पहले से लम्बित चले आ रहे प्रकरणों का कोई हवाला नहीं दिया गया तथा मंदिर मूर्ति रंगनाथ वेणुगोपाल (पुराना) मंदिर पुष्कर जिला अजमेरके नाम जरिये नामांन्तरकरण अंकन करने के आदेश राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दे दिये। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 29–4–2014 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि खतौनी संख्या 144 में खसरा नम्बर 466, 488, 486, 489, 490 तथा 491 की कुल 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि तथा भूमिधारी के कॉलम संख्या 4 में छीतर वल्द पन्ना

बलाई 1 हिस्सा तथा जगन्नाथ वल्द गंगाविशन कौम कलाल 1 हिस्सा राहिनान तथा मुर्तहीन के स्थान पर मंदिर रंगनाथ जी का नाम अंकित था एवं उसके उपरान्त जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम तथा अजमेर मध्यस्था उन्मूलन कानून प्रभाव में आये तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू हुए तो जमाबंदी सम्वत 2019–2022 के कॉलम संख्या 4 में भूमि अधिकारी के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज कर दिया गया तथा कॉलम संख्या 5 में खसरा संख्या 487 बाबत तो पूर्व जंमीदार छीतर वल्द पन्ना तथा जगनाथ वल्द गंगाविशन का नाम राहिन के रूप में तथा मंदिर रंगनाथ का नाम मुर्तहीन के रूप में अंकित रहा। परन्तु खसरा नम्बर 486, 488, 490, 491, 489 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा बाबत अकेले बींजा वल्द छोटू का नाम अंकित रहा। नामांन्तकरण संख्या 104 के जरिये खातेदारी अंकित करने बाबत नोट जमाबंदी में लगाया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रेषित किया गया जिसमें इन समस्त तथ्यों का लोप हो गया कि भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि या स्वामित्व व जागीर की भूमि नहीं होकर मंदिर के प्रन्यासी द्वारा यह भूमि मंदिर के पक्ष में रकम देकर उधार की एवज में रहन रखी हुई भूमि थी। इन वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश पारित किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के न्यायालय में राजस्व वाद मंदिर मूर्ति रंगनाथ वेणुगोपाल बनाम सुगनचन्द व अन्य का वर्ष 2001 से लम्बित चला आ रहा है पूर्व में वाद संख्या 20/2001 अंकित किया गया था तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय से मुन्तकिल होकर सहायक कलक्टर मु0 अजमेर में लम्बित है। इसी भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुगनचन्द व अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें मंदिर श्री रंगनाथ बतौर प्रतिवादी पक्षकार है वह भी न्यायालय में लम्बित है इन समस्त तथ्यों को छिपाया गया।

उन्होनें यह भी कथन किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना तहसीलदार द्वारा की जानी होती है तथा धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही वर्तमान भू–प्रबन्ध के दौरान बनाई गई जमाबंदी में यदि कोई त्रुटि हो तो उससे संबंध होता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में जो कारण प्रकट किया गया है वह राजस्व मण्डल के आदेश की अनुपालना के उपरान्त खसरा छूट जाने का कारण अंकित किया तथा ऐसा कारण किसी भी प्रकार से धारा 136 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता है तथा उन परिस्थितियों में जबकि पक्षकारान के मध्य इसी भूमि को लेकर सक्षम न्यायालय में एक दूसरे के वाद लम्बित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में आवेदन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया । वस्तुतः उक्त आवेदन धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नही था तथा धारा 136 के तहत चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित

किया जाता है उसे बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में सुगना, चौथू के वारिसान को जानबूझकर पक्षकार अंकित नहीं किया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने आपको प्रन्यासी बताने वाले श्री अनन्त प्रसाद ने अन्य प्रकरणों में स्वयं ने सुगना, नौरत एवं चौथू के वारिसान को पक्षकार बनाया है, यह समस्त तथ्य उक्त श्री अनन्त प्रसाद की जानकारी में है। इसके बावजूद भी जानबूझकर बदनियति पूर्वक जो कार्यवाही की गई है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2014 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने कथन किया कि मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पुष्कर (पुराना) जरिये एक मात्र कुल परम्परागत न्यासी अनन्त प्रसाद गनेरीवाल निवासी पुराना मंदिर पुष्कर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एक सार्वजनिक न्यास है जो राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के पास पंजीबद्ध हैं ग्राम बांसेली के खसरा नम्बर 535 व 539 जिसके पुराने खसरा नम्बर 486 व 498 के भाग थे। रेस्पोन्डेन्ट ने ग्राम बासेली के खसरा नम्बर 466 रकबा 4–9–10, खसरा नम्बर 486 रकबा 01–17–00, खसरा नम्बर 487 रकबा 00–03–10, खसरा नम्बर 488 रकबा 00–09–00, खसरा नम्बर 489 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 490 रकबा 01–12–00, खसरा नम्बर 491 रकबा 02–04–10 कुल किता 7 रकबा 10–13–00 है। वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर 535 व 539 प्रार्थी के नाम पर नहीं दर्शाये गये है और यह नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 4–3–97 के अनतर्गत हुई भूल का परिणाम है। यह भूल वास्तविक रूप से ऐसी भूल है जो राजस्व रेकार्ड के अन्तर्गत स्पष्ट है। रेस्पोन्डेन्ट ने जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 104 को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर अजमेर ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 9/1979 के अन्तर्गत दिनांक 16–12–1980 को आदेश पारित कर नामान्तरकरण संख्या 104 को निरस्त कर दिया और धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर करके आदेश के लिए प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर अजमेर ने आदेश दिनांक 16–12–1980 में स्पष्टीकरण दिया कि उक्त नामान्तरकरण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अन्तर्गत उचित/सही नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रकरण संख्या 11/1981 में आदेश दिनांक 8–7–86 को जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश के रेफरेन्स को मंजूर कर नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 1–8–1964 जो कि बींजा वल्द छोटू के नाम की गई उसे निरस्त किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष सुगना, नौरत व चौथू पुत्र स्व0 बींजा के वारिस की हैसियत से प्रकरण में शामिल किये

गये। खसरा नम्बर 535 पुराने खसरा नम्बर 490 का अंग है व खसरा नम्बर 539 पुराना खसरा नम्बर 486 का अंग है। नामान्तरकरण संख्या 104 निरस्त होने के कारण खसरा नम्बर 486 व 490 का भी नामान्तरकरण निरस्त किया गया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर ने उपरोक्त आदेश की पालना करते हुए नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 4–3–1997 को खोला। उक्त गलत नामान्तरकरण यथास्थिति में है। सार्वजनिक नोटिस नगर पालिका पुष्कर ने उपरोक्त भू–रूपान्तरण की सूचना प्रकाशित की जिसमें कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई और इसके पश्चात नगर पालिका पुष्कर ने प्रकरण वरिष्ठ नगर नियोजन विभाग अजमेर को तकनीकी छटनी के लिए प्रेषित किया। इस संबंध में नगर पालिका पुष्कर ने जिला कलक्टर से भू रूपान्तरण पर मार्गदर्शन चाहा। जिला कलक्टर अजमेर ने उपरोक्त प्रकरण माननीय आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पास भेजा। आयुक्त देवस्थान विभाग के समक्ष 20–5–2011 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को आवश्यक रिपोर्ट के लिए भेजा गया। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने दिनांक 20–6–2011 को नायब तहसीलदार, पुष्कर को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पटवारी से मुआयना पश्चात मांगी। पटवारी देवनगर ने खुद रिपोर्ट नायब तहसीलदार को दिनाक 29–6–2011 को प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को भेज दी। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर देवस्थान आयुक्त को रिपोर्ट भेजी कि खसरा नम्बर 529, 535, 538 (गलती से 539 की जगह लिखा गया) रेस्पोन्डेन्ट न्यास के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं है। देवस्थान आयुक्त ने धारा 79 राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 14–10–2011 की कार्यवाही में समावेश हुआ। रेस्पोन्डेन्ट ने खुद के कागजात की छटनी की व राजस्व विभाग व देवस्थान विभाग के सभी दस्तावेजों से यह पता लगा कि खसरा नम्बर 529, 535 व 538 (गलती से 539 की जगह लिखा गया) रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी की भूमि है। नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 1–8–1964 का निरस्त करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जो नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 1–8–1964 बींजा पुत्र छोटू माली के नाम हुआ था उसे निरस्त करके रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 23 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अजमेर को आवेदन प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या 9/79 दर्ज कर राजस्व मण्डल अजमेर को नामान्तरकरण संख्या 104 को बींजा वल्द छोटू के नाम पर निरस्त करने का आग्रह किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उपरोक्त रेफरेन्स को वाद क्रमांक 11/1981/टीए/अजमेर ने दिनांक 8–7–1986 के आदेश प्रदान कर नामान्तरकरण क्रमांक 104 दिनांक 1–8–1964 को निरस्त किया। इस वाद में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष स्व0 बींजा पुत्र छोटू के तीन पुत्र व प्रार्थी न्यास व देवस्थान विभाग पक्षकार के रूप में शामिल थे। इसके उपरान्त सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर ने उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 01–8–1964 को निरस्त करने के आदेश दिये जो कि तहसीलदार ने

नामान्तरकरण क्रमांक 206 दिनांक 4–3–1997 की पालना की। प्रार्थी माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि खसरा नम्बर 535 व 539 माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के अन्तर्गत शामिल है कारण कि वह पुराने खसरा नम्बर 486 व 490 के अन्तर्गत तैयार हुए। खसरा नम्बर 529 पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 29–6–11 में समावेश नहीं किया गया क्योंकि इस खसरा नम्बर में एक कुंआ है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आंशिक रकबा व खसरा नम्बरों को दुरूस्त कर मंदिर के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है। रकबा 0–17–0, खसरा नम्बर 539 रकबा 1–08–0, कुल रकबा 2–05–0 बीघा भूमि मंदिर के नाम दर्ज होने से रह गया था तथा खसरा नम्बर 532 व 542 खातेदार बींजा वल्द छोटू के नाम दर्ज नहीं था तथा खसरा नम्बर 489 का 0–06–0 रकबा नए खसरा नम्बर 537 रकबा 0–07–0 के रूप में मंदिर के नाम दर्ज हो गया जो बींजा वल्द छोटू के नाम दर्ज था लेकिन निर्णय का भाग नहीं था। मंदिर के नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज किये गये सभी खसरा नम्बर व रकबा आधार जमाबंदी में नए खसरा नम्बर व है0 में रकबा के साथ शामिल किये जा चुके है तथा मंदिर के नाम दर्ज होने से शेष रहे खसरा नम्बरान वर्तमान मिलान क्षैत्रफल अनुसार आधार जमाबंदी में खसरा नम्बर 650/1055 रकबा 0.06 तथा खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16 तथा खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.38 है. खाता संख्या 329 में बींजा पुत्र छोटू के वारिसान सुगना, नौरता, चौथू पि0 बींजा कौम माली के नाम दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा ग्राम बांसेली की आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16, 650/1055 रकबा 0.07 व 649 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.38 सुगना, नौरता, चौथू पि0 बींजा कौम माली के नाम दर्ज है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पंजीकृत ट्रस्ट मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल (पुराना) पुष्कर जरिये एक मात्र ट्रस्टी श्री अनन्त प्रसाद के द्वारा ग्राम बांसेली के नामान्तरकरण संख्या 104 से चौसाला खसरा नम्बर 466 रकबा 04–09–10, 486 रकबा 01–17–00, खसरा नम्बर 488 रकबा 00–09–00, खसरा नम्बर 489 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 490 रकबा 01–12–00, खसरा नम्बर 491 रकबा 02–04–10 कुल रकबा 10–18–00 बीघा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत बींजा पुत्र छोटू माली सा0 देह के पक्ष में खातेदारी दिनांक 01–08–1964 को दे दिये जाने पर न्यायालय कलेक्टर अजमेर के न्यायालय में राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 104 को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा राजस्व रेफरेन्स नम्बर 09/79 दिनांक 26–12–1980 को राजस्व मण्डल में रेफरेन्स करने का निर्णय लिया गया। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा मु0न0 11 सन् 81/रेफरेन्स/टी.ए/अजमेर निर्णय दिनांक 08–07–1986 से रेफरेन्स दिनांक 26–12–1980 को स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त भूमि से संबंधित नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 1–08–1964 को निरस्त करते हुए राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त खसरा नम्बर पुनः मंदिर श्री रंगनाथ जी बेणुगोपाल (पुराना) मंदिर स्थित पुष्कर के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर में से 518, 519, 521, 536, 537, 528, 529, 530, 531, 534, 542 मि0 व 532 नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 04–3–1997 से मंदिर मूर्ति रंगनाथ जी वेणुगोपाल (पुराना) मंदिर पुष्कर खातेदार स्वीकृत हो चुका है। इस स्वीकृत नामान्तरकरण का अंकन वर्किंग जमाबंदी के खाता नम्बर 99 में बींजा वल्द छोटू कौम माली सा0 देह के वारिसान सुगना, नौरत, व चौथू पि0 बींजा कौम माली के खाते में कर दिया गया है। इसमें से खसरा नम्बर 542 मि0 रकबा 00–01–00 व 532 रकबा 00–03–00 बींजा पुत्र छोटू के नाम अंकित नहीं होने से इनका अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26–12–1980 की पालना करते समय वर्किंग खसरा नम्बर 539 व 535 इस नामान्तरकरण में अंकन करने में सहवन से छूट गये है। मंदिर के नाम वर्किंग जमाबंदी के दर्ज किये गये सभी खसरा नम्बर व रकबा आधार जमाबंदी में नये खसरा नम्बर व हैक्टर में रकबा के साथ शामिल किये जा चुके है। मंदिर के नाम दर्ज होने से शेष रहे खसरा नम्बर 539 के आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16, 1650/1055 रकबा 0.07 व खसरा नम्बर 535 के आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 649 रकबा 0.15 बने है जो बींजा की विरासत होने से सुगना, नौरता व चौथू पि0 बींजा कौम माली सा0 देह खातेदार के स्थान पर राजस्व मण्डल के रेफरेन्स निर्णय दिनांक 26–12–1980 की पालना करते समय सहवन से छूट जाने से मंदिरमूर्ति रंगनाथ वेनुगोपाल (पुराना) मंदिर पुष्कर जिला अजमेर के नाम जरिये नामान्तरकरण अंकन करने के आदेश पारित किये है। अतः अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से निरस्तनीय है।

जवाबुल जवाब में अपीलाथीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। मुर्तहीन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने से कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे चल रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का बेदखली की कार्यवाही लम्बित है।

मैंने अपीलांट अभिभाषक की बहस तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुष्कर (पुराना) जरिये प्रन्यासी अनन्त प्रसाद लक्ष्मी निवास गनेरीवाल निवासी पुराना रंगजी का मंदिर पुष्कर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा रेफरेन्स निर्णय दिनांक 26–12–1980 की पालना करते समय सहवन से ग्राम बांसेली की आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16, 650/1055 रकबा 0.07 व 649 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.38 सुगना, नौरता, चौथू पि0 बींजा कौम माली सा0 देह खातेदार के स्थान पर मंदिर मूर्ति रंगनाथ वेणुगोपाल (पुराना) मन्दिर पुष्कर जिला अजमेर के

नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिये है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में देखते ही कोई त्रुटि नजर आये उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जबकि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29–4–2014 पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और और न ही विवादग्रस्त आराजियात से संबंधित विधिक पक्षकारों को पक्षकार ही बनाया गया है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा विधिक पक्षकारों को बिना सुने ग्राम बांसेली की आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 654 रकबा 0.16, 650/1055 रकबा 0.07 व 649 रकबा 0.15 कुल रकबा 0.38 सुगना, नौरता, चौथू पि0 बींजा कौम माली सा0 देह खातेदार के स्थान पर मंदिर मूर्ति रंगनाथ वेणुगोपाल (पुराना) मन्दिर पुष्कर जिला अजमेर के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विरूद्ध होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) का अपीलाधीन ओदश दिनांक 29–4–2014 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) का अपीलाधीन ओदश दिनांक 29–4–2014 प्रकरण संख्या 30/2011 बउनवान मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल बनाम तहसीलदार, अजमेर त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाकर प्रकरण उक्तानुसार विवेचन के आधार पर तहसीलदार, पुष्कर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात से संबंधित दोनों पक्षकारों को सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य की जांच कर एवं विधिवत सुनवाई कर अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृति की कार्यवाही तीन माह में करे।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर